रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102024-257721 CG-DL-E-05102024-257721

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39791

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 4, 2024/आश्विन 12, 1946

No. 3979]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 4, 2024/ASVINA 12, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 शुक्रवार., 2024

का.आ. 4338(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2634(अ) तारीख 05.07.2024 जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 2499 तारीख 05.07.2024 मे प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा असम राज्य में पारादीप – नुमालीगढ़ कच्चे तेल पाइपलाइन के मधायम से कच्चे तेल के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है:

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

6444 GI/2024 (1)

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि मे उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में निहित होगा।

<u>अनुसूची</u>

					क्षेत्रफल		
जिला	सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बिस्वनाथ	गोहपुर	गोहपुर	2 नं कुमारकाटा	71	00	07	88
				79	00	05	80
				80	00	03	76
				76	00	02	68
				74	00	05	72
बिस्वनाथ	गोहपुर	गोहपुर	बालिटीका	504	00	11	32
				502	00	09	30
				532	00	17	68
बिस्वनाथ	बिस्वनाथ	साकोमाथा	पेटुली बारी	526	00	11	62
				529	00	05	25
मजुलि	कमलाबारी	कमलाबारी	मेखेलि गांव	560	00	05	35
लखिमपुर	नारायणपुर	ढलपुर	निदानचोवा	196	00	04	90
				183	00	15	90
				191	00	18	96
				184	00	07	80
				182	00	04	80
				185	00	80	00
				191	00	07	80
-				213	00	03	50

[फा. सं. आर-11025(14)/1/2020-ओआर-I-भाग(1)/ई-48803]

शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2024

S.O. 4338(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No. 2634(E) dated 05.07.2024, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India No. 2499 dated 05.07.2024, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of crude oil through Paradip – Numaligarh crude oil pipeline in the state of Assam by Numaligarh Refinery Limited (NRL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Numaligarh Refinery Limited (NRL), free from all encumbrances.

Schedule

District	Circle	Mouza	Village	Dag No.	Area		
					Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Biswanath	Gohpur	Gohpur	2 No Kumarkata	71	00	07	88
				79	00	05	80
				80	00	03	76
				76	00	02	68
				74	00	05	72
Biswanath	Gohpur	Gohpur	Balitika	504	00	11	32
				502	00	09	30
				532	00	17	68
Biswanath	Biswanath	Sakomatha	Petuli Bari	526	00	11	62
				529	00	05	25
Majuli	Kamlabari	Kamlabari	Mekheli Gaon	560	00	05	35
Lakhimpur	Narayanpur	Dhalpur	Nidhanchowa	196	00	04	90

4	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY		[PART II-	—SEC. 3(ii)]
	183	00	15	90
	191	00	18	96
	184	00	07	80
	182	00	04	80
	185	00	08	00
	191	00	07	80
	213	00	03	50

[F. No. R-11025(14)/1/2020-OR-I-Part(1)/E-48803] SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.